

उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

पत्रांक: 24013-17 / वसूली/संग्रह अमीन/2023-24 दिनांक: 11.04.2023

समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,

उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,

उत्तर प्रदेश।

प्रदेश के समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता द्वारा उ०प्र० सहकारी समिति अधिनियम 1965 की धारा 95 'क' / 92 'क' अन्तर्गत प्रभावी वसूली के दृष्टिगत बैंक की ऐसी शाखाओं में जिनमें बकाया धनराशि अधिक है, वसूली हेतु वैतनिक अमीनों (कतिपय शाखाओं पर कमीशन अमीन) की तैनाती करते हुये पत्र के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को सूचित किया गया है।

उपर्युक्तानुसार अमीनों के माध्यम से प्रभावी वसूली कराये जाने के सम्बन्ध में अधोलिखित दिशा-निर्देश दिये जाते हैं-

1. वैतनिक अमीनों की, तैनाती शाखा पर तत्काल योगदान कराना सुनिश्चित कराये। (सूची संलग्न)
2. शाखा प्रबन्धक प्रतिदिन वैतनिक एवं कमीशन अमीनों की उपस्थिति सुनिश्चित कराये एवं आप स्वयं रेन्डम आधार पर इसकी पुष्टि करें।
3. अमीनों को 95 'क' से आच्छादन एवं रु० एक लाख से बड़े बकायेदारों का आवंटन लिखित रूप में किया जाये।
4. नियमानुसार प्राप्त संग्रह शुल्क को तत्काल संग्रह निधि में जमा कराया जाये।
5. जहाँ पर अमीन कार्यरत नहीं है वहाँ की सूचना शाखावार प्रेषित की जाये।

कृपया आप उक्त बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये वैतनिक एवं कमीशन अमीनों की नियमित वसूली की समीक्षा स्वयं तथा जनपद के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के माध्यम से सुनिश्चित कराये तथा साप्ताहिक समीक्षा रिपोर्ट संलग्न प्रारूप पर अधोहस्ताक्षरी एवं मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक सहकारिता को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जिन अमीनों द्वारा दायित्वों के निर्वहन में शिथिलता बरती जाय, उनके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही हेतु अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये।

संलग्न-उपरोक्तानुसार

11-4-23
(आर०के० कुलश्रेष्ठ)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त शाखा/वरि० प्रबन्धक, उ०प्र०सह०ग्राम विकास बैंक लि०, उ०प्र०।
2. समस्त जनपदीय सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक(सहकारिता), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय उप/संयुक्त आयुक्त एवं उप/संयुक्त निबन्धक(सहकारिता), उत्तर प्रदेश।
4. अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक(अधि०), सहकारिता, उ०प्र०।

11-4-23
प्रबन्ध निदेशक

उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

प्रारूप-क

वैतनिक अमीनों की वसूली प्रगति समीक्षा- दि० 01.04.23 से.....मण्डल.....
(धन० लाख रु० में)

क्र० सं०	मण्डल	जनपद	शाखा	वैतनिक अमीन का नाम	सम्बन्धित अमीन को आवंटित रु० एक लाख से बड़े बकायेदारों का विवरण (ब्याज सहित)		रु० एक लाख से बड़े बकायेदारों से वसूली (ब्याज सहित)		कृत कार्यवाही						अर्जित संग्रह शुल्क	संग्रह निधि में जमा शुल्क
					सं०	धन०	सं०	धन०	साइटेशन	वारंट	गिरफ्तारी	कुर्की	नीलामी			
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

(Handwritten mark)

उ० प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

प्रारूप-ख

कमीशन अमीनों की वसूली प्रगति समीक्षा- दि० 01.04.23 से.....मण्डल.....

(धन० लाख रु० में)

क० स०	मण्डल	जनपद	शाखा	कमीशन अमीन का नाम	सम्बन्धित अमीन को आवंटित रु० एक लाख से बड़े बकायेदारों का विवरण (ब्याज सहित)		रु० एक लाख से बड़े बकायेदारों से वसूली (ब्याज सहित)		कृत कार्यवाही						अर्जित संग्रह शुल्क	संग्रह निधि में जमा शुल्क
					सं०	धन०	सं०	धन०	साइटेशन	वारंट	गिरफ्तारी	कुर्की	नीलामी			
1	2	3	4	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

(Handwritten mark)